8

धन विधेयक

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णयों/विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

धन विधेयक

धन विधेयक क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अन्तर्गत, कोई भी विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी एक से संबंध रखने वाले उपबंध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्:—

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा लिए गए अथवा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय दायित्वों से संबद्ध विधि का संशोधन;

(ग) भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना;

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;

1

(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे के मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्षण; अथवा

(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

2. कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक न समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के अधिरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिए फीसों की अभियाचना का या देने का उपबंध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबंध करता है।

3. संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (छ) में प्रयुक्त शब्द ''आनुषंगिक'' का बहुत व्यापक अर्थ है। इस शब्द का आशय इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत न केवल कर की दरें तथा उसका क्षेत्र आ जाता है, बल्कि निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, इत्यादि हेतु सम्पूर्ण तंत्र भी सम्मिलित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वित्त विधेयकों को, जिनमें कराधान की दरों के अलावा उनकी वसूली, इत्यादि के लिए तंत्र संबंधी उपबंध भी होते हैं, धन विधेयक के रूप में सत्यापित किया जाता है। इसी प्रकार,

आय-कर से संबंधित विधि में संशोधन करने वाले या उसे समेकित करने वाले विधेयक को धन विधेयक माना जाता है चूंकि ऐसे विधेयकों का मुख्य प्रयोजन किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, इत्यादि होता है, अन्य आनुषंगिक उपबंधों के होने से वह धन विधेयक की श्रेणी से भिन्न नहीं माना जा सकता। इस प्रकार धन विधेयक में कर के अधिरोपण संबंधी एक ही उपबंध हो सकता है और उसमें अनेक ऐसे खंड हो सकते हैं जो इसके अधिरोपण की व्याप्ति, प्रणाली, इत्यादि से संबंधित हों।

धन विधेयकों का सत्यापन

4. धन विधेयक केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। यह प्रश्न उठाये जाने पर कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होता है। किसी विधेयक को धन विधेयक सत्यापित करने अथवा उस पर तत्संबंधी निर्णय लेने में अध्यक्ष किसी से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। अध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र कि विधेयक धन विधेयक है उस समय देता है/देती है तथा हस्ताक्षर करता है/करती है जब विधेयक राज्य सभा को भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

5. किसी धन विधेयक पर अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र एक बार दे दिये जाने के पश्चात् वह अंतिम माना जाएगा और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती।

3

6. किसी धन विधेयक को सदन की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को नहीं भेजा जा सकता।

धन विधेयक वित्तीय विधेयक से भिन्न है

7. जबकि धन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (क) से (छ) तक विनिर्दिष्ट विषयों का ही समावेश होता है, वित्तीय विधेयक में उक्त अनुच्छेद में से सब अथवा किसी एक से संबंध रखने वाला ही मामला नहीं होता, अर्थात् इसमें अन्य विषयों से संबंधित उपबंध भी होते हैं।

8. वित्तीय विधेयक दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे विधेयक आते हैं जिनमें अन्य उपबंधों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (क) से (छ) से संबंधित उपबंध भी होते हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के अंतर्गत वित्तीय विधेयकों की श्रेणी में रखा जाता है। धन विधेयकों की तरह उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। तथापि, धन संबंधी अन्य प्रतिबंध इस श्रेणी के विधेयकों पर लागू नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत वित्तीय विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

9. दूसरी श्रेणी के अंतर्गत ऐसे विधेयक आते हैं जिनमें अन्य उपबन्धों के साथ-साथ ऐसे उपबन्ध भी होते हैं जिनके अधिनियमित

हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्निहित होता है। ऐसे विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अंतर्गत वित्तीय विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे विधेयकों को संसद की दोनों सभाओं में से किसी एक में पुर:स्थापित किया जा सकता है। तथापि, इन विधेयकों पर किसी भी सदन द्वारा विचार किये जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है और जब तक ऐसी सिफारिश प्राप्त नहीं हो जाती, कोई भी सभा उस विधेयक को पारित नहीं कर सकती।

संविधान संशोधन विधेयकों को धन विधेयक नहीं माना जाता

10. संविधान संशोधन विधेयक को, चाहे उसके सभी उपबंध अनुच्छेद 110(1) के अनुरूप क्यों न हों, धन विधेयक नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 से, जो धन विधेयकों संबंधी उपबंधों को अप्रभावी बना देता है, विनियमित होते हैं।

धन विधेयकों की कुछ श्रेणियां

11. **वित्त विधेयक:** वित्त विधेयक एक गुप्त विधेयक है जो अनुगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सामान्य बजट के प्रस्तुत

किये जाने के तुरन्त पश्चात् लोक सभा में प्रत्येक वर्ष पुर:स्थापित किया जाता है। वित्त विधेयकों को धन विधेयक माना जाता है क्योंकि उनमें अधिकांशत: विभिन्न कर विधियों के संशोधनों से संबंधित उपबंध होते हैं।

12. **विनियोग विधेयक:** सम्बद्ध अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के तुरन्त बाद विनियोग विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया जाता है। ऐसे विधेयकों को धन विधेयकों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उनका प्रयोजन सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने हेतु भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्राधिकार प्रदान करना होता है।

राज्य सभा की भूमिका

13. राज्य सभा को धन विधेयक, जो लोक सभा द्वारा पारित करने के पश्चात् उसे भेजा गया है, को उसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के अन्दर लौटाना होता है। चौदह दिन की अवधि की गणना विधेयक की राज्य सभा सचिवालय में प्राप्ति की तारीख से की जाती है, न कि राज्य सभा पटल पर उसे रखे जाने की तारीख से।

14. राज्य सभा धन विधेयक किसी सिफारिश के साथ अथवा बिना किसी सिफारिश के लौटा सकती है।

15. यदि कोई धन विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश के लौटा दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

16. यदि कोई धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिशों के साथ लौटाया जाता है, तो उसे लोक सभा पटल पर रखा जाता है। सरकारी विधेयक की स्थिति में कोई मंत्री तथा गैर-सरकारी सदस्य विधेयक की स्थिति में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देकर अथवा अध्यक्ष की अनुमति से, बिना पूर्व सूचना के प्रस्ताव करता है कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर संशोधनों पर मतदान होता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों और लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों में से किसी को स्वीकार नहीं करती, तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये किन्हीं संशोधनों के बिना लोक सभा द्वारा पारित रूप में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। तथापि, यदि राज्य सभा चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर धन विधेयक नहीं लौटाती तो विधेयक उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा

लोक सभा द्वारा पारित रूप में पारित समझा जाता है और इसलिए इसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

17. दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के संबंध में अनुच्छेद 108 के उपबंध धन विधेयक पर लागू नहीं होते।

धन विधेयकों पर अनुमति

18. लोक सभा सचिवालय को उन सभी धन विधेयकों पर, जो दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जा चुके हैं या पारित किये गये समझे गये हैं, अनुमति प्राप्त करनी होती है।

19. राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति धन विधेयक को विचार के लिए सभा को नहीं लौटा सकते।

[धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 108, 109, 110, 111 और 117 तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 72, 96, 103 से 108 से विनियमित होते हैं।]